15.50 hrs.

Title: Further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Insertion of New Article 75A, etc.) (Not Concluded).

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, मैंने संविधान संशोधन विधेयक इस सदन के सामने पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है। 1989 से लेकर 1999 तक पिछले दस साल में पांच चुनाव हमारे देश में हो गये हैं और 1989 से लेकर 1999 तक किसी भी एक पार्टी को स्पट बहुमत इस देश में नहीं मिला है।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, who would be responding to this debate from the Government side?

MR. CHAIRMAN : Shri Santosh Kumar Gangwar, hon. Minister for Parliamentary Affairs would reply to this debate.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : So, he is equally equipped with matters of the Law Ministry as well!

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, 1989 से लगातार मिली जुली सरकारें इस देश में चल रही हैं और बार-बार चुनाव इस देश में हो रहे हैं। हमारा देश गरीब और प्रगतिशील देश है। आज भी हमारे देश में पीने के पानी की, शिक्षा की तथा सड़कों की समस्या है और लगातार हजारों करोड़ों रुपये चुनाव पर खर्च हो रहे हैं। जो धन राट्र के विकास पर लगना चाहिए था, वह धन चुनाव पर खर्च हो रहा है। पूरे देश के अंदर एक प्रकार की राजनैतिक अस्थिरता का निर्माण हो गया है और भविय में भी हमें मिली-जुली सरकारें ही देखनी पड़ेंगी। आज यह स्थिति किसी पार्टी की नहीं है कि एक पक्ष की सरकार भविय में होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या यह इशारा बीजेपी की तरफ है? â€¦(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह सभी को है। जो वास्तविकता है, उसे कबूल करना चाहिए।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : गीते जी, आप टोकाटोकी में मत पड़िए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : राजनैतिक अस्थिरता के कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी आज दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। आप और हम ग्यारहवीं लोक सभा से यहां हैं। आप तो मुझसे भी पहले से होंगे। हमने सरकार बनते हुए भी देखी है और गिरते हुए भी देखी है।

सभापति जी, जो लोग सरकार गिराने के लिए एकत्र होते हैं, वे बनाने के लिए नहीं होते। सरकार गिराने के लिए सारे एक साथ हो जाते हैं लेकिन बनाने के लिए कोई साथ नहीं आता। इसका नतीजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।â€¦(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पीएमके चला गया, टीडीपी क्यू में है और बाकी इंतजार में हैं। हम क्या कर सकते हैं।â€¦(व्यवधान) हम कुछ नहीं कर सकते।â€¦(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : दासमुंशी जी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं।â€¦(व्यवधान) आप हमेशा के लिए विपक्ष में बैठ सकते हैं।â€¦(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसके लिए हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है।â€¦(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : बार-बार जो सरकारें गिराने का प्रयास हो रहा है, उन्हें आप रोक सकते हैं। इसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हर डेढ़-दो साल में चुनाव आ रहे हैं और हजारों-करोड़ रुपए इन चुनावों पर ऑफिशियली खर्च हो रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए हम संविधान में यह संशोधन यहां लाए हैं। जब कोई सरकार अल्पमत में आती है तो अविश्वास प्रस्ताव की बजाए विश्वास प्रस्ताव इस सदन में लाया जाए। इस सदन के बहुमत से नेता को चुना जाए और नेता के चयन पर महामहिम राट्रपति जी से प्रार्थना की जाए कि उन्हें प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त करें। इसीलिए हम यह संशोधन लाए हैं। जब भी पहले सरकार गिरी है तो गिराने के लिए हमने सब को इकट्ठे होते देखा है, लेकिन बनाने के लिए पार्टियां साथ नहीं आतीं, इसलिए हमने संविधान में यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

सभापति जी, यदि सरकार अल्पमत में आती है और यह सदन अपना नेता नहीं चुन सकता तो इस सदन को चार मास के लिए स्थगित किया जाए और चार मास के भीतर महामहिम राट्रपति जी फिर एक बार सदन को बुलाएं। इस सदन के नेता का चयन करने के लिए फिर एक बार अवसर दिया जाए। बार-बार के चुनाव के कारण हमारी जो करोड़ों रुपयों की धन की हानि हो रही है, उसे टालने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात में भयानक भूकम्प आया। उसमें लगभग 13500 करोड़ की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और लगभग 14,000 से 15.000 तक जीविन हानि हुई है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हर साल हमारे देश पर आती हैं- कहीं बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा, कहीं चक्रवात है और हर साल सरकार को उसका सामना करना पड़ता है।

16.00 hrs.

सभापति जी, हमारे देश में आज भी 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण लोग हैं और हमारा देश आज भी किसानों और गरीब मजदूरों का देश है। हमारे देश में बेरोजगारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और विकास के काम धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। जब बजट का समय आता है तो देश के हर नागरिक के मन में यह भय होता है कि अब टैक्स और सरचार्ज बढ़ेगा, पैट्रोल और डीजल महंगा होगा जिससे यातायात महंगा होगा और इसका सारा बोझ गरीबों पर पड़ेगा। इसलिए जब ऐसी स्थिति हमारे देश की है और वित्तीय कठिनाइयों का सामना हमारा देश कर रहा है तो ऐसी स्थिति में बार-बार चुनाव का इस देश के हित में नहीं है। चुनाव पर करोड़ों रुपयों का व्यय होना, देश के अंदर राजनैतिक अस्थिरता का पैदा होना, इन सारी बातों से सारी दुनिया हमारी तरफ आशंका की दृटि से देखती है। जब सरकार चल रही है और उसने अपना कोई कार्यक्रम तय किया है, पॉलिसी तय की है लेकिन लोगों के मन में आता है कि इस सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है अगर यह सरकार चली जाती है तो आने वाली सरकार उस कार्यक्रम पर अमल करेगी या नहीं। इन सारी बातों का हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए यह संविधान संशोधन हमने सदन के सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन पर सदन के सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस संशोधन का सारा सदन समर्थन करेगा।â€¦(व्यवधान) कोई भी सदस्य यह नहीं चाहताहै कि बार-बार चुनाव हों। चुनाव बार-बार आने से जो धनराशि गरीबों की शिक्षा, स्वास्थ्य और देश

के विकास में लगनी चाहिए वह चुनावों पर खर्च हो जाती है। इसलिए बार-बार चुनावों का होना देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि चर्चा के बाद यह सदन एकमत से इसका समर्थन कर इसे पारित करे। धन्यवाद।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Mr. Chairman, Sir, in addition to his views, the hon. Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, in his speech, on the occasion of the Fiftieth Year Celebration of the Election Commission had also expressed the same view, for which, I think, this matter is to be taken for granted with all seriousness and priority.

MR. CHAIRMAN : Shri Anant Geete also belongs to the NDA. They are one of its allies.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill presented by hon. Shri Anant Gangaram Geete albeit in a modified form.

It is a fact that for cobbling up a majority in the House, for the last ten to eleven years, ideologies, principles and achievements have been compromised, as a result of which there is a downgrade trend in the Indian polity. That is why what he said is absolutely correct. He said that there is a necessity to amend certain provisions of the Constitution of India. He has indicated Article 75, Article 85, Article 164 and Article 175. When we think of amending Article 75 and Article 85, *mutatis mutandis*, it would apply to Article 164 and Article 175. Here, I would like to invite attention to certain grey areas in the Constitution of India.

The framers of the Constitution never thought that the House of the People would be dissolved so soon on very frivolous grounds, or, for that matter that it would be extended beyond five years as it has been done in one instance. They thought that the Members of the House would be persons of integrity, persons with value and persons with education. As it had been indicated the other day through the obituary references to Shri Indrajit Gupta, the value of the Members of this House has degenerated to its lowest ebb. So, now there is a necessity of having a rethinking about the Constitution.

Shri Atal Bihari Vajpayee, the Prime Minister of India, had recently set the ball rolling by indicating that there should be some amendment to the Constitution to ensure a fixed term for the House of the People, the Lok Sabha. My contention here is that at the present juncture it might not be necessary to amend the Constitution. It would be necessary to interpret certain grey areas of the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar, the person who had drafted the Constitution had thought of this. He was a visionary, no doubt. He thought that there would be degeneration and that is why he had incorporated certain ideas into the Constitution. I invite your attention to Article 83 to which Shri Geete has referred earlier. In Article 83, clause (2), it is said:

> "The House of the People, unless sooner dissolved, shall continue
>
> for five years â€¦"

The crux of the problem is the three words 'unless sooner dissolved'. My contention is to amend these three words. We can delete them from the Constitution so that we automatically have a five-year tenure.

If we have a five-year tenure, what are the difficulties that we may have to face? This is what he has thought out. What would happen when there is a vote of confidence in the Council of Ministers? In my humble opinion, if the Council of Ministers loses the confidence of the House, the House should be able to find out an alternative leader. That is why he has suggested 'Vote out confidence; vote in confidence'. If you are voting out somebody, you should find out another person who would be the leader. The German method, I think, would be suitable to our country at the present juncture because of the multiparty system. A large number of regional parties are coming to share power at the Centre. So, 'vote in, vote out' measures could be adopted, as he has very aptly indicated in his Constitution Amendment Bill. But as I had indicated, in the first instance, let us think about the grey areas of the Constitution.

Grey areas of the Constitution are in Articles 85 and 86 wherein the President has enough powers to direct one House or both the Houses to take a particular decision. I would invite your attention to the Twelfth Lok Sabha when the President of India had given directions that the Budget should be passed and the Budget should be adopted. There was no other go but to take the directive in its proper perspective. So, let us construe Articles 85 and 86 in that way. What does Article 85 say? Mr. Chairman, Sir, with your kind permission, may I read clause 2 of Article 85?

> "(2) The President may from time to timeâ€”
>
> (a) prorogue the Houses or either House;
>
> (b) dissolve the House of the People."

He may dissolve the House of the People. It is his discretion and that is not to be questioned also. It cannot be justiciable and it cannot be questioned anywhere. So, the point that I would like to impress upon the hon. Members and the country at large is that the President may apply his discretion by refusing to dissolve the House or by refusing to take a particular decision in a particular manner and he may ask the House to elect another leader. That is very clearly indicated in Article 86. I again go to clause (2) of Article 86. Clause 2 is very important. It indicates:

> "The President may send messages to either House of Parliament, whether with respect to a Bill then pending in Parliament or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration."

This word `otherwise' is very important. It is not indicated as to what is meant by `otherwise' for the President of India. It may be a directive to the Lok Sabha to elect a leader. This word `otherwise' is pregnant with thoughts and ideas. This is the grey area I was talking about. It is said:

> "â€¦. Or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration."

What Shri Geete has said, is about four months period to reconsider about a decision. In the police or army, it is called cooling off period. Why give cooling off period? The President of India can say, `You take seven or ten days and consider'. This is the message of the word `otherwise'. He can say, `You elect the leader and let him be the Prime Minister and the Prime Minister will choose his Council of Ministers'. In that way the first amendment should be deletion of `unless otherwise dissolved' and a large and broad interpretation of `otherwise' in article 85 (2). This will help in keeping the House for five years and it would not create any problem at a later stage. Within the framework of the Constitution, with the least minimum amendment, we can achieve the objective of what Shri Geete has indicated in his Private Member's Bill. If a Vote of Confidence Motion is defeated, some other person can be elected with a mandate from the President. If the second person is not elected as Prime Minister, then it is up to the President, as Shri Geete has indicated, to dissolve the House. That would save a lot of expenditure and a lot of difficulties. Through this, criminalisation of politics can be minimised to a certain extent. Elections are expensive and criminalisation is done on a larger scale. That is why when I stood up to support the Bill, I said I support it in a modified form. After all this Constitution has seen several ups and downs in the last fifty years.

I am reminded of a couplet of Lord Rochester. Very beautifully he has said about the King. If the same thing continues for another fifty years, I think, the Constitution will also have the same meaning as Lord Rochester has said about the King. He said:

> "Here lies our sovereign Lord, the King
>
> Whose word no man relies upon
>
> He never says a foolish thing
>
> Nor ever does a wise one."

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, माननीय सांसद श्री गीते जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण ि वधेयक है। पिछले एक दशक से देश की जो परिस्थिति बनी हुई है और जिस प्रकार से राजनैतिक अस्थिरता बनी रहती है, उससे प्रायः हर र्वा देश को चुनाव झेलना पड़ रहा है। यह चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, इस प्रकार बार बार चुनावों के कारण देश को संवैधानिक रुप से हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है जबकि अवैधानिक रूप से जो चुनाव मे खर्च किया जा रहा है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस कारण अपराधीकरण बढ़ गया है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर विचार करते समय तरह तरह की बातें आयेगीं। हमारे देश का संविधान बहुत ही सार्थक रहा है। जब संविधान निर्माताओं ने बैठकर संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने काल और समय के हिसाब से दुनिया के कई देशो के सं ि

वधानों को देखकर इस सार्थक संविधान को बनाने का काम किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने आज की परिस्थिति को सोचा भी नहीं होगा कि कभी इस प्रकार नैतिकता का ह्रास होगा। यह बात उन लोगों के दिमाग में भी नहीं आयी होगी कि भारत की संसद में छोटी-बड़ी 40 पार्टियों का प्रवेश होगा। भारत के संविधान की स्वर्ण जयंती मनाने के बाद हालात काफी बदल गये हैं। उस समय के नैतिकता के स्तर और आज की नैतिकता के स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। आज दिन-प्रतिदिन नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है जिसका असर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर पड़ रहा है। उस समय सोच-समझकर ही संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 86, 75, 175 और 185 का समावेश किया गया होगा। डा. राजेन्द्र प्रसाद या बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधानसभा में यह कल्पना भी नहीं की होगी कि किसी विधानसभा या संसद में बहुमत साबित करने के लिये कोई विवश हो जायेगा, पुलिस गिरफ्तार करने का काम करेगी और कोई बहुमत साबित किये बिना ही सरकार बना लेगा। इसीलिये यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है।

सभापति महोदय, मैं एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन बातों पर पीछे चर्चा की है कि इसके लिये कोई न कोई उपाय करना चाहिये ताकि इस संसदीय लोकतंत्र में जनता को हर वक्त चुनाव न झेलने पड़ें। सभापति महोदय, आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और आपके देखते-देखते कई सरकारें आईं और चली गईं। यह ठीक है कि श्री गीते जी के प्रस्ताव में उपबंध किया गया है कि यह निश्चित होना चाहिये कि लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल संविधान के हिसाब से पांच साल का होना चाहिये, बीच में भंग नहीं होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है कि यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये तो पहले यह तय कर लेना चाहिये कि जिन्हें हटाना है, उसके बाद सरकार किसकी बननी चाहिये।

यह सबसे जरूरी बात है कि जब चर्चा में किसी मुद्दे को उठाने में पार्टी के नेता एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी-कभी बेमेल समझौता करके अविश्वास प्रस्ताव लाकर देश पर चुनाव थोपने की कार्रवाई होती है, उस समय देश पर खर्च का बड़ा भारी बोझ हो जाता है, अपराधीकरण बढ़ता है और विकास का काम बाधित हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के लिए एम.पी.लैड स्कीम है। इसमें पैसे जाते हैं। आप खुद भी बिहार से सांसद हैं। जब कभी खर्च का माहौल बनता है तो पैसा खर्च नहीं हो पाता है, पता चलता है कि छ: महीने नेपाल की नदियों के पानी ने बिहार को दबा दिया और छ: महीने बाद जब आप विकास शुरू कराते हैं तो आपके क्षेत्र में चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो जाती है। इस तरह मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों के लिए जो एम.पी.लैड स्कीम हैं, उसका पैसा पिछले तीन-चार चुनावों के कारण खर्च नहीं हो पाया है और काम मुकम्मल नहीं हो पाये हैं। इस तरह विकास विनाश से बढ़ता है। चुनावों से अपराधीकरण तो बढ़ता ही है और साथ ही पैसे का भारी बोझ देश पर पड़ता है।

सभापति महोदय, चुनाव में जो कालाधन खर्च होता है उसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। इसके लिए कोई आयोग बनना चाहिए, जिससे कि लोक सभा और विधान सभा के चुनावो में काले धन का प्रयोग न हो और जो धन प्रयोग हो वह सरकारी फंडिंग के आधार पर ही चुनाव में खर्च हो, ताकि नैतिक मूल्यों के ह्रास पर रोक लग सके। मैं आपके माध्यम से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि संविधान सर्वोत्तम संविधान है। संविधान निर्माताओं के नेक इरादे थे। उस समय के नैतिक स्तर में और आज के नैतिक स्तर में जमीन-आसमान का फर्क है, इसीलिए मैंने रेखांकित किया है, बिना नाम लिये उदाहरण भी दिया है, फिर से उसे दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इस संसद में 40 पार्टियों का प्रवेश होगा, दिन-प्रतिदिन रीजनलिज्म बढ़ता जायेगा, राट्रीय पार्टियां कमजोर होंगी और यहां हर साल चुनाव की परिस्थिति पैदा होगी। उस समय के नेताओं के मन में लेशमात्र भी यह शंका नहीं रही होगी। यदि वे आज होते तो देखते और अपने विचारों में परिवर्तन भी करते तथा संविधान में स्वाभाविक रूप से ऐसा उपबंध करना वे स्वीकार करते ताकि ऐसी व्यवस्था हो कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाये वह विश्वास के लिए भी तैयार होकर आये। नेता अपने पक्ष से लेकर आये। यदि इसके बाद भी कोई संकट पैदा होता है तो निश्चित रूप से राट्रपति महोदय को संविधान संशोधन के जरिये यह शक्ति होनी चाहिए कि चार महीने तक संसद को विलम्बित करके सासंदों को सोचने के लिए वक्त दे, एक बार नहीं, दो बार वक्त दे। यदि दो बार के बाद भी कोई रास्ता न निकले तब अंतिम हथियार का प्रयोग संसद को भंग करने के लिए किया जाए। लेकिन हर हाल में लोक सभा और विधान सभाओं का कार्यकाल सुनिश्चित हो, तथा नेता का चयन सदन में मतदान के जरिये होना चाहिए। यह स्पट अधिकार लोक सभा को मिले, इस बात का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

16.24 hrs **(Dr. Laxminarayan Pandeya *in the Chair*)**

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Sir, I rise to support this Bill tabled by the hon. Member of Parliament, Shri Anant Gangaram Geete suggesting a Constitutional amendment with regard to compulsory existence of five years' term for elected Members. I really congratulate him on bringing this Bill for discussion in this august House. Lok Sabha once elected by the people should continue to serve the country and the people for a continuous period of five years. For, it has been enunciated as one of the fundamental principles of our democracy.

Before further expressing my views I would like to make it clear that this principle should not only be applicable to Parliament, but to all the State Assemblies as well where similar problems are being faced. Nowadays the democratic values have undergone a total change. It is not known now whether the horse is dragging the cart or the other way round. In the normal democratic practice, the horse should be before the cart and the people should give mandate to the Members of Parliament to serve them for five years. Unfortunately what is happening now is that Parliament itself is directing the people saying that it does not want to serve them for a full term of five years for various reasons and considerations; so, it directs the people to vote again and again once every year or one and a half years or two years. Therefore, in this set up whether it is the people who are giving directive to their representatives or the people""s representatives are directing the people to vote for them every year is to be determined.

Dissolution of the House is done on various considerations, whether it is palatable to the people or not. We are just forcing elections on them frequently. Ultimately what is happening and it is not a secret at all that in every election a lot of tension is being mounted on the people, among different groups of people within a single village and even within a single family. So, frequent elections create several types of tensions. People are going to the court after stabbing and murdering one another. Several criminal cases are pending in the courts. Even before these events are forgotten, we are raking them up once again, not allowing them to forget these factions. `Once again you rake up your own tensions existing between you and elect me as your leader and give me power"", seems to be the message we are giving.

As Shri Anant Geete rightly pointed out, since 1989 no single party has been given the mandate. Even after that we went in for elections in 1991, 1996, 1998 and 1999 at an average interval of two years. Is there any improvement in the political set up here? Day by day, in elections after elections, the number of political parties is getting mushroomed. People""s representatives who are elected to this House and who in turn elect the leader to run the Government have started coming from more number of political parties. The number of political parties has multiplied itself. Today as many as 44 political parties are represented in this House. Tomorrow God alone knows, if once again there is an election, how many more political parties get formed. There will be only addition to the number of political parties and not deletion.

What exactly are the considerations on which certain Houses are dissolved? I can cite very flimsy considerations which are there. I may be forgiven if the word `flimsy"" that I have used is very strong. I am not trying to challenge the wisdom of the Members. It really pains several people when they come to know the grounds on which Houses are dissolved. Even for want of one vote this House had to be dissolved recently. There have been occasions when on the plea that some police people were parading before the leader of a political party, support to the Government was withdrawn and elections were pressed on the people.

There were occasions where the leader of the Treasury Benches was found fault by a particular party leader that in his own party, he is not favouring that leader of the Treasury Benches and is in favour of another leader and as such he is withdrawing the support of his party. So, these are all various considerations which are not on economic issues, not on economic policies, not on political differences nor on the philosophy of politics. It is not on these notes. It is really on very very flimsy grounds that the House had been pulled down and once again, elections were pressed on the people.

In this vast country, where the population is more than a billion now, where there is a lot of diversified activities, whether it is geographically or economically or language-oriented, etc., the scenario looks as if there is no scope that a single party will be voted to power in the near future. No national party will come to power on its own. It is bound to happen that a major party has to take into confidence a group of parties to come to power and then rule the country. Even after the coalition constituent parties coming together, there is no guarantee that these parties will support them for a period of five years and the same Government will continue. We have seen it in 1996 and 1998 and we are now passing through the present Government of the Thirteenth Lok Sabha.

Under these circumstances, there is a real need to think over this particular aspect whether you call it as an amendment or as suggested by Shri Sahu, just a modification of some of the articles of the Constitution. Any slight modification amounts to constitutional amendment. It may be to article 75 or article 85 or even article 164 or 175 or whatever it may be. Comprehensively, there is a need for having a total look on this aspect.

The other aspect is the economic aspect of this country. Since there is no continued support for the Government, most of these economic activities empowering the poor people and addressing to poverty-oriented policies are being sidelined. They are never being pursued on a continuous basis. Even internal instability of political atmosphere is giving a rather peculiar look internationally. In a country like India, there is a frequent change of political parties. When the country is passing several problems like natural calamities, internal threat, militancy, insurgency, law and order problems which require to be addressed, the need for having a stable Government is very much realised. We should run through for a period of five years. So, under these circumstances, the Bill that has been introduced by Shri Geete is a welcome feature and I really support it.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I support the Bill moved by Shri Geete in its spirit. I need not go into the repetition of the fact that the people of this country are being greatly distressed because of the frequent dissolutions of Lok Sabha like within 13 months or one-and-a-half years and so on. I need not go into the details because the Members who have already spoken before me have given a detailed description of that.

My point is that when this Government came to power, the National Democratic Alliance in its Manifesto, gave a promise to the people of India that there shall be a House for a fixed term. In the United States of America, the tenure of the Senate and the tenure of the House of Representatives are fixed. The House of Representatives continue for four years. So, we can also do that.

Shri Anadi Sahu, who initiated the debate from the Treasury Benches, has mentioned that there are so many grey areas. I also repeat what he said. But I say that instead of allowing the Rashtrapati of this country to decide who should be the Prime Minister of this country, why not this House, this Lok Sabha take that responsibility? We elect the hon. Speaker of this House in this House itself. He is not being elected in a partisan manner. He is elected by the hon. Members of this House. If we make a slight change in the Constitution or in the interpretation of the Constitution, then we can bring in a lot of improvement upon the present situation by electing the Prime Minister of this country by the Lower House.

Take the example of article 356. There is a provision of President's Rule to be promulgated in a State. There is no provision of a President's Rule being promulgated at the Central level. So, we have not faced any embarrassing situation in the past. But take the example of the States. In one State, in Uttar Pradesh, one person was sworn in for a single day. Then, the court had to intervene. They had to bring in Shri Kalyan Singh as the Chief Minister. The hon. Member Prof. Venkateswarlu who was speaking is from the TDP. He knows from his experience as how the N.T. Rama Rao Government was dismissed in the past. What happened? He had to bring all the MLAs right up to the Rashtrapati Bhawan. They had to sit in front of the Rashtrapati Bhawan and take the photograph. It was the journalist who had to do the head-count. So, instead of making the Rashtrapati Bhawan or the Governor's house the place of determination as to who will be the Prime Minister of this country or the Chief Minister of a State, it is always better that the House decides it. Then, what will happen? The tenure of five years has been mentioned. Instead of just changing the Constitution or bringing in any further amendment to the Constitution, we can ascertain the position where the House can remain for five years because the House will elect its leader. If, at any time, the House expresses its inability, then there is the other option. Shri Anant Geete has mentioned that four months time should be provided. It has been mentioned in this Bill that "the President shall, upon the advice of the Council of Ministers, prorogue the House and suspend the operation of any provision of the Constitution relating to the House of the people for a period which shall not exceed four months". Instead of giving four months' time, when we ask the House to elect its leader, and if the House is unable to elect its leader, then we can send a message to the hon. President saying that the House is incapable of electing a leader. So, in that extreme situation, the House could be dissolved. So, in this case, we may not change the Constitution but we can see to it that the longivity of the House for five years is ascertained.

India is a vast country. Only a Parliamentary form of democracy can bring in justice to the people. We cannot have a Presidential form of government like the United States of America. The representatives of the people who come from various parts of the country can only fulfil the aspirations of the people. We have varied languages, varied sub-cultures, and religions. You have to give a piece of cake to everybody so that everybody is made happy.

Ultimately, my point is that early dissolution of this House brings in economic chaos. It creates suspicion in the minds of the investors, specifically foreign investors about the stability - economic and political - of the country. Therefore, foreign direct investors would run away if they are faced with such a situation.

Let us interpret it in a different way and just allow this House to elect its leader so that all these points raised by Shri Geete could be sorted out.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, श्री अनंत गीते जी के संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पांच वर्ा हो, का मैं विरोध करता हूं।â€¦(व्यवधान) सही मायने में यह गैर-सरकारी विधेयक है लेकिन गीते जी सरकार की मंशा को ही व्यक्त कर रहे हैं। जब इलैक्शन कमीशन का 17 जनवरी को गोल्डन जुबली कार्यक्रम हुआ, उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने भााण में कहा कि विधान सभा और लोक सभा का कार्यकाल फिक्स होना चाहिए।â€¦(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, यदि इजाजत दें तो मैं एक केलैरीफिकेशन देना चाहता हूं। जो विधेयक मैंने सदन के सामने रखा है, यह इलैक्शन कमीशन के पहले का है। तब हमने विधेयक सदन के सामने रखा, ऐडमिट हुआ, चर्चा भी शुरू हो गई थी।

श्री रामजीलाल सुमन : आप उनके मित्र संगठन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 17 जनवरी को प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि सरकार के स्थायित्व के लिए विधान सभा और लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ा होना चाहिए। मुझे खुशी है कि राट्रपति जी ने एक दूसरी राय व्यक्त की है। राट्रपति जी इस राय के नहीं हैं और संविधान की समीक्षा के लिए श्री वैंकेट चलैया के नेतृत्व में जो राट्रीय आयोग बना है, उनकी राय भी इस हक में नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। यह विधेयक लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के विपरीत है। यह मान कर चलना कि सरकार संख्या से चलती है, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी गलतफहमी दुनिया में दूसरी कोई हो सकती है। सरकार संख्या से नहीं चलती, जन-विश्वास से चलती है। हिन्दुस्तान और दुनिया में तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां अपार बहुमत था लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं चल पाई। आपको मालूम है कि 1974-75 में बिहार में श्री जयप्रकाश जी का आन्दोलन शुरू हुआ।

मुझे प्रसन्नता है कि मैं उस आन्दोलन का कार्यकर्ता था। वह जो सम्पूर्ण क्रान्ति का आन्दोलन था, उस सम्पूर्ण क्रान्ति के आन्दोलन में एक मुद्दा यह भी था कि जनता के प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। जनप्रतिनिधि पांच वर्ा के लिए चुना गया है, उसका कार्यकलाप ठीक नहीं है, उसने जन विश्वास को तोड़ा है तो जनता को यह पूरा अधिकार होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि को वापस बुला ले।

1984 में और 1971 में कांग्रेस पार्टी का अपार बहुमत प्राप्त था, संख्या बल से कांग्रेस पार्टी उस समय राज कर सकती थी, लेकिन 1971 में चुनाव जीतने के बाद देश में ऐसे हालात कैसे बन गये कि श्रीमती गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि राज पांच साल चले या 10 साल चले, बल्कि उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज भले ही दो दिन चले, लेकिन राज की दिशा

क्या है, राज किस दिशा में चला है। अगर कोई सरकार बन जाये, उसे बहुमत प्राप्त हो, लेकिन वह सरकार देश तोड़ने का काम करे, साम्प्रदायिक दंगे कराने का काम करे, किसानों और मजदूरों का विश्वास तोड़े, उसके राज में गरीब सुरक्षित न हों तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उस सरकार का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि सरकार कितनी चली है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार किस दिशा में चली है। सरकार गरीबों के पक्ष में चली है, मजदूरों के पक्ष में चली है, आम आदमी के पक्ष में चली है या शरमायेदारों के पक्ष में चली है, सरकार ने देश की प्रतिठा और गरिमा को बेचा है।

मैं यह विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यह कहना कि पांच वर्ा के स्थायित्व के लिए विधान सभा और लोक सभी स्थाई रहे, इसलिए उसका कार्यकाल पांच वर्ा होना चाहिए, यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। â€¦(व्यवधान) पांच साल कैसे नहीं है, सरकार के स्थायित्व का मतलब है, उसके पीछे व्यावहारिक मतलब यही है कि कोई और सरकार चले या नहीं चले, लेकिन भले ही 20-25 पार्टियों से मिलकर यह सरकार बनी हो, लेकिन यह सरकार जरूर चलती रहे, इसके

पीछे मंशा यह है।

श्री गीते का जो विधेयक है, यह बिल्कुल अव्यावहारिक है, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Mr. Chairman, Sir, I am happy that you have given me a chance to participate in this very important debate. I was not prepared to speak with much substance as such, but looking at the debate and hearing the points made by the hon. Members, I would like to say that with all the discussion about stability, change of Government and that four Lok Sabha elections had to be held in a period of nine years, it does not quite reflect very well on the health of the country. It is a fact that illiteracy is very high in the country and when we go to polls everytime, a new party is added to the number of already existing parties. When there are 29 parties in the ruling alliance, it is not possible for the Government to function in a proper, consolidated manner. The other fact is that when there are so many parties in the alliance, the main party leading the Coalition is always under pressure.

Now, we say that the era of coalition has come to say. It is a statement of fact. It is historically proved now that coalition parties have a major role in forming the Government at the national level. So, it becomes all the more difficult for the leading party in the coalition to coordinate with 29 or 30 parties. So, the main party leading the coalition has to be pitied more than criticised. I find that they are under deep pressure because everybody does not think alike. At the State level, to get the confidence of the public, the parties forge a separate issue. Even if issue 'A' happens to be very good, some party for the sake of making its presence felt, says that issue 'B' is better.

So, this kind of a gimmickry will go on in a democracy. All the same, it is a very sad reflection that in a country with one billion and above people, we have had to face four Lok Sabha elections in a period of nine years causing enormous damage to the country's prestige and to the personal prestige of the person who has been elected a Member in the House. The most important thing is the economic drainage. Nobody is allowed to complete a term. Before the term is completed, they are told that they are inefficient, they have been a total failure, and they must go. I think, enlightened people in this august House must debate before they bring this kind of pressure into the House.

The second important thing, which I would definitely like to focus, would be that it is a very noble idea of having an Amendment or a Review Commission to go into the Constitution. But I would feel that it would be very nice and it would also be in good taste if the ruling party decided to have a debate in the House regarding this Review Committee. I am sure that with all the Lok Sabha Members present, everybody would have reason. This Review Committee could then have been constituted. We could have been consulted in this august House for the simple reason that we are the people's representatives and we all have a right to voice the opinion of what we think is right. So, only four or five people in a Review Committee cannot make up for the entire august House. I would like this point to be noted.

I quite agree with the hon. Members. They have spoken a lot of truth because, I feel, there has been tremendous instability in India in the last one decade.

As far as this Bill is concerned, we all should discuss it together even though we are sitting in the Opposition. I would like to make this suggestion to the Treasury Benches.

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, अनंत गीते जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में संशोधन के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप इसे पास करा दीजिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : हम पास कराने के लिए ही इसे लाए हैं। आप भी साहस दिखाएं। यहां गीते जी के साथ बैठकर समर्थन कर रहे हो, लेकिन वहां जाकर दूसरी बात करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वहां जाकर मैं वास्तविकता बताता हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय, आप और हम जानते हैं कि जनता हमें पांच साल के लिए चुनकर इस सदन में और विधान सभाओं में भेजती है। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो यही कहते हैं कि हमें पांच साल के लिए लोक सभा में चुनकर भेजिए या विधान सभा के लिए चुनकर भेजिए। इसी बात के लिए हम वोट मांगते हैं। इन दोनों संस्थाओं के कार्यकाल को सुनिश्चित करने की दृटि से ही इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। अम्बेडकर जी ने और तत्कालीन महापुरूाों ने संविधान बनाया, तो कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी। जातिवाद और भााावाद की ओर प्रवृत्त हो जाएगी। क्षेत्रवाद की ओर चली जाएगी। राट्र चिंतन को तिलांजलि देकर केवल व्यक्तिवाद स्वार्थ के कारण ही संसद या विधान मंडलों को चलाने लगेगी। पिछले 12-13 सालों से भारत में लोग इस ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इस दौरान देश में ऐसी परिस्थिति बन गई कि न तो लोक सभा अपनी अवधि पूरी कर पा रही है और न अनेक राज्यों की विधान सभाएं अपना कार्यकाल पूरा कर पा रही हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संविधान की मंशा के अनुसार ये संस्थाएं अर्थात लोक सभा और विधान सभाएं पांच साल की अवधि के लिए जब चुनी जाती हैं, तो बराबर पांच साल चलें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसके कारणों के बारे में मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह जो विधेयक लाया गया है इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोक सभा पांच साल के लिए चलेगी ही, न ही यह है कि पांच साल के लिए विधान सभाएं चलेंगी। इसमें एक शर्त दी गई है कि लोक सभा में किसी सरकार को अपदस्थ करना हो तो उसके लिए उसका विकल्प चुनना अनिवार्य होगा।

हालांकि जो 75 क (1) की शब्दावली है, वह उसकी पूर्ति करने में असमर्थ है। मैं भावनात्मक रूप से गीते जी का पूरी तरह से समर्थन करता हूं परंतु इस शब्दावली को ठीक करने की आवश्यकता है, इसे संशोधित करने की आवश्यकता है नहीं तो कोई मंशा ही नहीं निकल रही है। मैं इसे पढ़कर बताना चाहता हूं। खंड 1 में लोक

सभा में प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परिद में एक सामूहिक प्रस्ताव जिसे सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो, के द्वारा उसके उत्तराधिकारी का चयन करके अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव पास करने के बाद उत्तराधिकारी का चयन करके, सीधा अर्थ यह निकल रहा है कि उत्तराधिकारी का चयन करके अपना अविश्वास व्यक्त करेगी तथा इस आशय का सम्बोधन राट्रपति महोदय को उपस्थापित करके जो तदुपरांत इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति को नये प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव पास करने के पहले कौन विकल्प होगा, कौन नया प्रधान मंत्री बनेगा, किसके नेतृत्व में मंत्री मंडल बनेगा, यह भी चयन करना अनि वार्य है। इस भाा से और चयन होने के बाद इसकी सूचना राट्पति जी के पास भेजी जाएगी और राट्रपति जी उसके आधार पर उसे प्रधान मंत्री नियुक्त करेंगे जिसको इस सदन ने चुन लिया हो। अब ये दोनों बातें हो तो सकती हैं परंतु उसका खंड 2 अगर देखें तो वह उसका विरोधाभासी दिखाई दे रहा है।â€¦(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : यदि यह नहीं हो पाता है तोâ€¦(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : जब विकल्प ही नहीं होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा और जब अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा तो सरकार तो बनी रहेगी और विकल्प चुन लिया गया हो और सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया हो तो राट्रपति उसको प्रधान मंत्री बना ही देंगे। यह खंड 1 में ही परिलक्षित होता है परंतु आपने जो खंड 2 में जोड़ा है, वह उसके विपरीत जाता है। खंड 2 में है कि "मंत्री परिद में लोक सभा का विश्वास प्राप्त करने अथवा बनाये रखने में असफल रहने पर अपना विश्वास बनाये रखने में असफल होने का सवाल ही नहीं होता। उसमें कांस्टीट्यूशनल ही है, विकल्प चुनने के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, यह है। असफल होना तो खंड 1 में है, अभी तक उपबंधों के अनुसार प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए किसी नये व्यक्ति को निर्वाचित करने में यदि वह असमर्थ रहती है तो राट्रपति मंत्री परिद की सलाह पर और जिसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया हो, मंत्री मंडल की सलाह पर इस सदन को चार महीने के लिए निलम्बित कर दे। इसमें जो लिखा है, मैं पढ़कर ही सुना रहा हूं।â€¦(व्यवधान) गीते जी, आप बाद में बोलिएगा, अगर आपकी बातें सही होंगी तो मैं संतुट हो जाऊंगा। नियुक्त किये जाने के लिए किसी नये व्यक्ति को निर्वाचित करने में यदि मंत्री परिद असमर्थ रहती है तो राट्रपति महोदय मंत्री परिद की सलाह पर लोक सभा का सत्रावसान कर देंगे और लोक सभा से संबंधित संविधान के किसी भी उपबंध का निलम्बन कर देंगे जिसकी अवधि चार मास से अधिक नहीं होगी अर्थात् इस सदन को चार माह के लिए जीवनदान मिलेगा। निलम्बित करने के बाद चार महीने में कोई इधर-उधर की एडजस्टमेंट, खरीद-फरोख्त कर ली जाएगी जैसे, उत्तर प्रदेश की असेम्बली तीन महीने के लिए निलम्बित कर दी गई थी और उसके बाद वहां फिर से मुख्य मंत्री चुना गया था। इसी प्रकार का आशय इस प्रस्ताव में है, इस खंड में है और इस संशोधन के कारण यह लोक सभा पांच साल चलेगी, इसकी कहीं गारंटी नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा चार महीने का जीवनदान मिल जाएगा। मेरा गीते साहब से निवेदन है कि होना यह चाहिए कि लोक सभा पांच साल के लिए चुनी जाती है, विधान सभा पांच साल के लिए चुनी जाती है, संशोधन यह है कि दोनों पांच साल चले, सरकार किसी की भी बने, किसी की भी हटे, इसका सवाल इसमें नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि लोक सभा पांच साल के लिए बनी है, पांच साल चलेगी। मंत्री मंडल के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो 543 सदस्य हैं या जो भी उस समय संख्या हो, वे सब मिलकर अपना नेता चुन लें फिर चाहे कौन सी पार्टी के लोग किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, यह प्रतिबंध नहीं हो और वे अपना नेता चुन लें और फिर वह नेता चुन लिया जाये तथा वह अपने मंत्री मंडल का गठन कर ले तभी यह लोक सभा और विधान सभा पांच साल के लिए चलेगी नहीं तो नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा चार महीने आगे बढ़ जाएगी, फिर खरीद-फरोख्त हो जाएगी, उसमें तालमेल बैठाया जाएगा और यदि तालमेल नहीं बैठा तो चार महीने के बाद फिर ऑक्सीजन की नली फूंकी जाएगी और फिर ये संस्थाएं भंग हो जाएंगी।

17.00 hrs.

ये संस्थायें भंग हो जायेंगी । इसलिए इस विधेयक से यह आशय पूरा नहीं होता है कि ये संस्थायें पांच साल तक चलेंगी । अभी प्रधान मंत्री जी से चुनाव आयोग के समारोह में कहा कि लोक सभा और विधान सभायें पांच साल तक चलनी चाहिए । मैं श्री गीते जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे सरकार से इस प्रकार का आश्वासन लें कि सरकार इस विाय में एक विस्तृत विधेयक लाएगी और उसमें यह प्रावधान हो कि लोक सभा और विधान सभायें पांच साल के लिए चलेंगी । अविश वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार हट जाए, तो नई सरकार बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया जाए कि पुनः सरकार बनाए । इस प्रकार का विधेयक यदि लाया जाएगा, तब ही लाभ हो सकेगा, नहीं तो देश को इससे बहुत भारी नुकसान होता है । हम सभी जानते हैं कि चुनाव में भारी खर्च होता है। सभापति महोदय, आप बहुत लम्बे समय से चुनाव जीत कर सदन में आ रहे हैं । मैं 11वी, 12वीं लोक सभा का सदस्य था तथा 13वीं लोक सभा का सदस्य हूं और मैंने चार साल की अवधि भी पूरी नहीं की है। 18 महीने, 13 महीने और अब 15 महीने की अवधि - कुल मिलाकर 46 महीने की अवधि हुई और मैं तीन चुनाव लड़ चुका हूं तथा चार साल भी पूरे नहीं हुए। ऐसी स्थिति में देश का विकास अवरुद्ध होता है और चुनाव पर पूरा खर्च होता है । इसके साथ ही तनाव भी बढ़ता है और एक-दूसरे को मरते-मारते देखते हैं। ऐसी स्थिति में प्रजातन्त्रीय स्थिति में सुधार करते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि लोक सभा और विधान सभाओं की अवधि पांच साल हो जाए। ऐसा विस्तृत विधेयक सरकार की ओर से लाया जाना चाहिए और कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं इतना ही कहते हुए, इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं 1989 से लोक सभा का चुनाव लड़ रहा हूं । मैं पांच बार लोक सभा का चुनाव लड़ चुका हूं और दस साल भी पूरे नहीं हुए हैं, जबकि पांच चुनाव लड़ने पर 25 साल की अवधि पूरी होनी चाहिए । हम जब चुनाव में जाते हैं, तो कहते हैं कि हमें पांच साल के लिए मौका दें । 1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधान मंत्री थे, जो 11 महीने की अवधि तक रहे । श्री चन्द्रशेखर जी चार महीने की अवधि के लिए प्रधान मंत्री रहे । इनके बाद नरसिंह राव जी ने पांच साल का समय जोड़-तोड़ कर पूरा किया । इसके बाद एक भी टर्म ऐसा नहीं है, जिसमें पांच साल की अवधि पूरी हुई हो । बार-बार चुनाव होने से निश्चित रूप से अरबों रुपयों की बरबादी होती है । देश की जनता को विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे बिहार में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं । 7 मार्च से आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, जबकि पंचायत के चुनावों में आचार संहिता लागू नहीं होती है। मई-जून का समय वा का होता है, एमपी विकास निधि और एमएलए विकास निधि में से पैसा खर्च नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिसम्बर के बाद विकास का काम हो पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव की अवधि पांच साल की होनी चाहिए । ऐसा न होने पर डीजल की कीमत, पैट्रोल की कीमत, दवाओं की कीमत, कपड़ों की कीमत और ऐसा कोई भी सामान नहीं है, किसान के सामान को छोड़कर, जिनमें अनाप-शनाप वृद्धि न होती हो ।

हमारा देश किसानों का देश है और यहां किसानों की क्या दुर्गति होती है उसे आप जानते ही हैं। हमारे पूरे देश में किसानों का धान परचेज़ करने वाला कोई नहीं था। हमने बार-बार लोकसभा में आवाज उठाई, लेकिन फिर भी यह सरकार सक्षम नहीं हो पाई कि कम से कम सभी ब्लॉक हैडक्वार्टर्स पर किसानों के धान के क्रय केन्द्र खुलें। किसानों का फसल पैदा करने में जो मूल्य एवं श्रम लगता है, उसका उसे उचित मुआवजा एवं मूल्य मिले, ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई।

सभापति जी, हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहां मध्यावधि चुनाव नहीं होते। वहां पूर्व से निर्धारित है कि पांच साल से पहले चुनाव नहीं होंगे और समय पर वहां चुनाव होते हैं। हमारे यहां भी ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो लेकिन पांच साल बाद ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि चाहे जिस तरह से भी व्यवस्था हो लेकिन पांच साल बाद ही लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हों। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं।

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Mr. Chairman, Sir, first of all let me thank you for giving me this opportunity.

Let me also congratulate my friend, Shri Anant Gangaram Geete for bringing what I consider to be a very timely sort of Constitutional amendment proposal.

Well, some of my friends have been talking about five years. Reading the text here, I do not find any reference to the continuance of the Lok Sabha for five years. On the other hand, the main substantive portion, that is Section 75A, the proposed new Section, I find, is very much influenced by a corresponding provision in the German Constitution. Now, in German Federal Constitution, there is a provision that any No Confidence Motion against the Chancellor, that is the Prime Minister there, must, in the same motion, name who according to the movers of the Resolution should be the next Chancellor. So, you can understand if that is the position, then very few No-Confidence Motions will at all come whereas in our system पहले इसे हटाओ, and then we will see about it. Then, they cannot agree. I remember the discussion in this House. Of course, then I was not a Member. I used to see it from the television. When the Government fell by one vote only, some Members did express consternation that what will they do again. But one distinguished Member from Bihar said हम पांच मिनट में नई सरकार बना देंगे, पहले इसे हटाओ। And then after 15 days, 20 days, no new Government came. Now, when that happens, the entire system loses its credibility with the people.

Let me ask many of my colleagues here how many of them when they went again for election campaign in 1999 were faced with the question from the people that we sent you just less than a year ago, how are you coming back again to seek votes again. Then what has happened to you. Why can you not govern? Now, this is a thing which has to be changed. I think it is a very salutary provision that all No-Confidence Motions must name who according to the movers of the Resolution should be the next Prime Minister so that, that matter comes up and that will really bring in much more of a responsibility in the whole system to think about changing the Government.

Now, Mr. Chairman, Sir, the general question that I would like to say is that our Constitution was framed on the background where Congress was practically the only Party. Somehow or other, at the back of the mind of those who framed the Constitution, there was a feeling that Congress will continue to rule this country for all time to come and there was never any question of any other Party coming in. This is number one.

Secondly, there is a tremendous influence of the Government of India Act, 1935 which the British framed under different conditions. When we framed our Constitution, somehow or other, chapter after chapter was borrowed. So, Section 93 became article 356 and so on and so forth. But then we had become independent and that made our Constitution one of the longest in the world unlike many other Constitutions of the countries, which are much shorter documents.

Thirdly, those were the times when somehow or other the fact that India is a country of great tremendous diversity, a pluralistic society, was not quite borne in mind by the framers of the Constitution.

I am sorry, I am to criticise them. They were great people. But somehow or other they thought that the small English knowing elitist group all over the country, who could be listened to -- let us say, Sir Surendra Nath Banerjee or Gandhiji or Netaji Subhash Chandra Bose or Pandit Jawaharlal Nehru − could formulate opinion. They were the opinion mongers. But that happened all over the country.

Mr. Chairman, Sir, that age is gone. Today, I do not think anybody, any All-India leader, who is a non-Marathi, can compete with Shri Anant Gangaram Geete in speaking in Marathi. Nobody would be able to compete with Dr. Raghuvans Prasad Singh in speaking Hindi in Bihar and nobody would be able to compete with Dr. Karunanidhi or other leaders in Tamil. Therefore, the age of All-India leadership, to some extent, has been very much affected. It will no longer be possible. The circumstances, which brought into being leaders like Gandhiji, Netaji Subhash Chandra Bose, Jawahar Lal Nehru or Dr. Ambedkar, would never happen. On the other hand, the Constitution does not bear in mind the needs of the pluralistic society. The age of coalition politics has come into being and in this provision, I think, we will be very helpful to the situation where it will make for stability; it will make for long-term stability and end the kind of uncertainty which happens when the Government falls. Mighty Government of India falls by one vote or by a number of votes and then the entire country is thrown into a state of uncertainty where planning process and economic development suffer. So, this will definitely make for stability.

Then, the other thing, of course, is not in this amending Bill. Sir, in the States, there is never the kind of instability which had happened in the Centre because there is a provision for the President's Rule and under the direct orders of the Governor, the officers carry on for a limited period. Unfortunately, our Constitution makers never thought about such a position that this can happen at the Centre, largely because, once again, they were never aware that Congress could ever lose and that the same stability will not continue any longer.

Sir, well, perhaps, time has come when you should think about for a limited period. There is a suggestion for four months. That is a good suggestion that in four months, at least, when you know that the Government stands to lose, perhaps, the hon. Members will come to a second thought. In fact, I did hear from many of the Lok Sabha Members, after the last Government fell by one vote, that had we known that this would have happened, we would

have abstained or perhaps we would not have come to the House. We never realised that the Government would fall by only one vote.

So, Sir, I strongly support Shri Anant Gangaram Geete's very timely proposal for following the model of the West German Constitution that this Constitutional (Amendment) Bill should be moved through and then should be enacted by a law, as a part of the Constitution.

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय सभापति जी, अपने सहयोगी श्री गीते जी द्वारा लाया गया यह संविधान संशोधन स्वागत योग्य है और हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। मान्यवर, हम 20वीं सदीसे 21वीं सदी में आये हैं और हम 33 करोड़ लोगों से 103 करोड़ लोग हो गये हैं। हम विश्व के छठे शक्तिशाली देश बन गये लेकिन हम राजनैतिक स्थिरता में आज बहुत पीछे चले गये हैं। संविधान के निर्माताओं ने अच्छे उद्देश्य और भावना को सामने रखकर संविधान की रचना की थी लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि इस देश में कुछ समय बाद इतने सारे दल होंगे और वे राजनैतिक, क्षेत्रीय और जातीय चिंतन को भी बढ़ावा देंगे।

जातीय-चिंतन और क्षेत्रचिंतन के आगे राट्र-चिंतन को कौन महत्व देगा, उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। कोई संसद में चुनकर आएगा फिर अपने दल को बदल लेगा इसलिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बाद में संविधान संशोधन करके दलबदल कानून लाया गया। वह कानून लागू है लेकिन उसकी भी नुक्ताचीनी करके उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है।

हमारे एक साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन एक वोट से सरकार गिर गई। वह सरकार कैसे गिरी, वह सदस्य किस दल से चुन कर आया और वोट किस दल को दिया, यह देखने की बात है। यदि दलबदल कानून पूर्णतः लागू होता तो शायद एक वोट से सरकार नहीं गिरती। मैं भी उस समय लोक सभा में था। मुझे याद है बार-बार कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री किस को बनाओगे? इसका कोई जवाब नहीं था। अभी हमारे साथी गुप्ता जी ने ठीक कहा कि उस समय कहा गया कि पांच मिनट में सरकार बना देंगे। वह पांच मिनट कहां चले गए?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बार हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या पहली बार की तरह ही कर रहे हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : उस समय लालू जी कह रहे थे कि दो मिनट में बना लेंगे।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : हमारे साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यह गाय और भैंस का दूध पी कर खूब पहलवानी कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा सकें।â€¦(व्यवधान) यह तैयारी कर रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र की कैसे हत्या की जाए? यह देश की रक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत अपने लोकतंत्र का इतिहास रचता है। भारत जैसे विशाल देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी हैं। उन गहरी जड़ों को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पांच साल तक सदन चलना चाहिए क्योंकि पांच साल के लिए जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। इस बात पर सदन को विचार करना चाहिए। यहां ऐसा कोई प्रस्ताव लाएं जिससे विधान सभा और लोक सभा पांच साल चले। आज क्या हो रहा है?

आजादी के बाद हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए जबकि सत्ता पर लंबे समय तक बैठे रहे। चुनावों पर हम खर्चा कर रहे हैं। चुनावों पर लगने वाला पैसा बरबाद हो रहा है। न केवल पैसा बरबाद हो रहा है बल्कि विकास की योजनाएं रुक रही हैं। हमने अखबारों में देखा कि संसदीय विकास निधि का पैसा खर्च नहीं हो पाया। वह कैसे खर्च होगा? योजनाएं बनाई गई और संसद सदस्यों द्वारा दी गईं लेकिन लोक सभा भंग हो गई और सदस्यों के अधिकार खत्म हो गए। फिर लोक सभा चुनी गई, फिर योजनाएं बनाई गई, योजनाएं भेजी गई, फिर लोक सभा भंग। संसदीय विकास निधि के पैसे का सदुपयोग करने का मौका सदस्यों को नहीं मिला और कहा गया कि संसदीय विकास निधि का पैसा खर्च नहीं हो पाया। सारा सदन इस बात पर विचार करे किस विधान के द्वारा और किस प्रकार संविधान में संशोधन करके विधान सभा और लोक सभा का पांच साल के लिए कार्य निश्चित हो। चाहे सरकार किसी की भी हो, प्रधान मंत्री कोई भी बने लेकिन लोक सभा पांच साल चले। एक वोट से पूरे देश को न नचाया जाए।

हमारे एक साथी ने कहा कि सरकार संख्या बल पर नहीं चलती है। वह जन विश्वास के साथ चलती है। जब 1998 में एक वोट से सरकार गिर गई तो क्या जन विश वास चला गया था? जन विश्वास नहीं गया था। उस समय जन विश्वास सरकार के साथ था। कुछ लोगों का स्वंय सिद्ध सिद्धांत चला गया था। आज इस बात की आ वश्यकता है कि यह जो संविधान संशोधन आया है, इसके द्वारा मौका दिया जाए।

अगर देश में ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम चार माह के लिये लोकसभा को निलम्बित करें। उसके बाद इस पर विचार करके प्रधानमंत्री लेकर आयें। इस प्रकार का प्रयास करने में क्या दिक्कत है? मुझे खुशी है कि इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, केवल एक साथी ने नहीं किया जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिये, आत्म-चिन्तन करना चाहिये। शायद वे समझ नहीं पाये और बार-बार पांच साल की बात कह रहे थे। यह पांच साल की बात नहीं है..

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उनको ऐसा लगा कि कोई न कोई पेंच है और सरकार खुद पांच वर्ा तक बने रहने के लिये यह सब कर रही है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : सभापति जी, गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। इस कार्यक्रम में सफलता तभी मिलेगी यदि सभी राजनैतिक दल या नेता गरीबी उन्मूलन के नाम पर, शोतिों के नाम पर कोई हिडन एजेंडा नहीं रखेंगे। इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है।

सभापति जी, श्री गीते जो प्रस्ताव इस सदन में लोकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर चिन्तन करें कि लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल, जितने साल के लिये हम जनता से वोट लेकर आये हैं, उतने साल तक चले ताकि यहां पर स्थिरता हो, भारतीय संसदीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत हों जिससे भारत का नाम विश्व में आगे बढ़ें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : माननीय सभापति जी, श्री गीते संविधान संशोधन का जो गैर-सरकारी प्रस्ताव लेकर आये हैं, उसमें उन्होंने अपने अंतःकरण की बात संवेदनशील तरीके से रखी है। उन्होंने इसमें नीति और नीयत दोनों को एक साथ रखा है परन्तु ऐसा लगता है कि इसमें उनकी नीति तो दिखाई देती है लेकिन नीयत दिखाई नहीं दे रही है। इसमें कुछ न कुछ पेंच है।

सभापति जी, लोकसभा का कार्यकाल पांच साल होना चाहिये और एक स्थिर सरकार चले लेकिन इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूं फिर भी लोकसभा को इस मामले पर विचार कर लेना चाहिये परन्तु उसके लिये उन्होंने कोई पैनल नहीं रखा। यह कैसा लोकतंत्र है? इस मामले को लोकतंत्रीय रूप से चलाना चाहिये था। मैं 1979 का एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्री मोरारजी प्रधान मंत्री थे और चौ. चरण सिंह उनके खिलाफ थे। चह्वाण साहब

के 16 आदमी चौ. चरण सिंह के साथ थे। मैं खुद गया और कहा कि विश्वास के लिये सात आदमी कम थे लेकिन 16 आदमी आने वाले थे। हम मोरारजी भाई के पास गये। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत का अपमान नहीं करना चाहता और तोड़-फोड़ करके प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, यह मेरा सिद्धांत है।

हमारे सामने उन्होंने राजीनामा दिया था - ऐसे थे मोरारजी भाई, ऐसे थे पंतप्रधान। संविधान के लिए आयोग रखना आदि यह सब संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-समझकर किया था।

सभापति महोदय, जब स्थिर सरकार होती है तो जनता ज्यादा से ज्यादा अस्थिर होती है। स्थिर सरकार ज्यादा मनमानी कार्रवाई करती है, जनता के लिए कुछ भी कर सकती है। अस्थिर सरकार कभी-कभी थोड़ा बहुत सोचती है कि आपस में कैसे तालमेल रखना है, इतनी तादाद में उन्हें रखना है, उनका यह ग्रुप है, ऐसा कुछ न कुछ सरकार सोचती है। लेकिन यह बात सच है कि बार-बार लोक सभा का चुनाव होना देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, यह ठीक नहीं है। इस बारे में मेरा कहना है कि लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ा होना चाहिए। इसमें कौन पंतप्रधान होगा, कौन क्या होगा, यह अलग चीज है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पंतप्रधान बदलता रहना चाहिए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : हां, पंतप्रधान बदलते रहना चाहिए, लेकिन लोक सभा का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। चंद्रशेखर जी के वक्त में उनके साथी ने मुझे एक कोटि रूपये और राज्य मंत्री का पद देने का ऑफर दिया था। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन भारतीय जनता पक्ष के बड़े-बड़े लोग आये। मैं सदन में सच बोल रहा हूं। मैंने बोला नहीं, मैं जनता दल सेकुलर पार्टी का अकेला मैम्बर हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा। जो संसद सदस्य हैं उनके मन में परिवर्तन नहीं होगा तो यह संसद ठीक-ठीक चलेगी। मैं अकेला किसी के साथ भी सौदा कर लेता। लेकिन यदि संसद सदस्य सोचेगा, लोक प्रतिनिधि सोचेगा कि लोक सभा में हम किसलिए आये हैं। यहां हमें प्रभु का नाम लेना है,उनका विकास करना है, यह सब सोचेंगे तो यहां ठीक-ठाक कारोबार चलेगा। नीति और नीयत हमें इन दोनों को साथ-साथ रखना है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री अनंत गंगाराम गीते जी ने यह प्रस्ताव लाकर अच्छा काम किया है कि देश भर में जनमत संग्रह हो। कोई नहीं कहेगा कि पांच वर्ा के अंदर चुनाव बार-बार हों, हर बार छ: महीने, साल और दो साल में चुनाव हों। हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। लेकिन कोई संविधान संशोधन लाकर उपचार निकाला जाए यानी संविधान वेत्ताओं या विद्वानों द्वारा लोक सभा और विधान सभा दोनों की आयु पांच वर्ा के लिए पक्की की जाए, दोनों के चुनाव एक साथ हों। पहले इनके चुनाव एक साथ होते थे, अब अलग-अलग होते हैं, जिसके कारण खर्चा, परेशानी, झंझट और विवाद बढ़ते हैं। श्री नीतिश सेनगुप्ता जी विद्वान और काबिल आदमी हैं, उन्होंने कागज-पत्र देखे हैं। कहा जा रहा है कि लोक सभा और विधान सभा की कार्यावधि पांच वर्ा से कम की न हो। पांच वर्ा के बाद वोटिंग हो और एक साथ दोनों की वोटिंग हो। ऐसा फार्मूला निकाला जाना चाहिए और दोनों की वोटिंग एक साथ होनी चाहिए। अलग-अलग वोटिंग होने से बड़ी भारी आफत आती है। इसलिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है।

सभापति महोदय, इसमें लोगों को आशंका है। श्री रामजी लाल सुमन तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस पर संदेह प्रकट किया है। इस बारे में प्रधान मंत्री जी ने भी बयान दिया था। हमारा कहना है कि लोक सभा कायम रहे, लेकिन सरकार बदलती रहे। सरकार वोट से हैं, यदि वोट घट जाए तो सरकार बदल जाए। हालांकि विदेश में लोगों को अल्पमत में सरकार चलाने का अभ्यास हो गया है, लेकिन हमारे यहां नहीं हुआ है। हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाये हैं। नहीं तो विदेश के कई देशों में अल्पमत की सरकार का राज चलता है। वहां बीच में लोक सभा भंग नहीं होती है, बीच में वोटिंग नहीं होती है। लेकिन उस तरह का अभ्यास हमारे यहां नहीं हुआ है। इस तरह का विचार पहले भी आया था कि नो-कांफीडेन्स मोशन यहां आता है और नियमावली से आता है।

इसलिए नियमावली में ही संशोधन कर दिया जाए कि प्रधान मंत्री अगर अल्पमत में हो गए और अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ पास होने वाला है तो किसके पक्ष में होने वाला है। यह भी अमेन्डमेंट करके जोड़ दिया जाए कि विकल्प का भी सदन में ही फैसला हो जाए। इस पर कार्यवाही भी आगे बढ़ी थी लेकिन कहा गया कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि राट्रपति जी ही प्रधान मंत्री को नियुक्त करते हैं। जब सदन में ही नियुक्ति हो जाएगी तो यह क्लॉज़ बाधित हो रही है। इसलिए वह मामला आगे नहीं बढ़ा। हालांकि जर्मनी और दूसरे देशों में इस तरह का प्रावधान है कि नियमावली में संशोधन करके संसद को कम आयु में भंग होने से बचाया जा सकता है लेकिन लोगों को शंका हो जाती है चूंकि आजकल कोआलिशन सरकारों का दौर चल रहा है। लोगों को शंका हो जाती है कि कोई न कोई तरकीब लोग निकाल रहे हैं, क्यों सदन को कॉनफिडेन्स में नहीं लिया जाता और संविधान संशोधन के लिए पैनल बैठाया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इनके मन में कोई खोट है इसलिए संविधान समीक्षा आयोग बैठाया है। इस कारण बहुत विरोध हो रहा है। जहां कमजोरियां हैं, जहां और सुधार की जरूरत है। जब संविधान में 85 संशोधन हो गए तो आगे भी संशोधन हो सकते हैं लेकिन डेढ़ साल में या 13 महीनों में सरकार चली जाए, यह हमें भी उचित नहीं लगता है। हम इस बात के पक्षधर हैं कि लोक सभा निश्चित अवधि तक चले, मगर नालायक सरकार बहुत दिन तक बनी रहे इसे हम सहन करने वाले नहीं है। जैसे रोटी बराबर पलटते रहने से सही पकती है, उसी प्रकार सरकार बराबर बदलते रहना ठीक होता है, नहीं तो तानाशाही हो जाती है। मिश्रा जी चले गए, वे लोकतंत्र की बात कर रहे थे। दुनिया में हमारा माथा ऊंचा इसलिए है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उसमें यह भी होता है कि एक वोट से केन्द्र में सरकार बदल जाती है। इससे पता चलता है कि हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। दुनिया में वोट को कौन पूछता है? बगल में ही पाकिस्तान को देखिये और अन्य देशों में देखिये कि वहां वोट का क्या हाल हो रहा है। वोट का राज करने वाले को जेल में बंद कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहां मजबूत हैं। एक वोट से केन्द्र में सरकार बदल गई।â€¦(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : वह अटल जी थे जिन्होंने स्वीकार कर लिया। आप होते तो यहां मशीनें तोड़-फोड़ देते और नहीं मानते। â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री देवेगौडी जी हुए, वी.पी.सिंह जी की सरकार थी, उनकी कुर्बानी की कहानी आपको याद नहीं है। आप लोग ही उसके कुसूर वार हैं। जब वी.पी.सिंह जी थे, उसके बाद आप लोग मस्जिद तोड़ने के लिए कैसे बने हुए थे, आप लोगों के ही समर्थन से राज चल रहा था। मंडल के जवाब में आपने कमंडल का भ्रममंडल कर दिया और कहते हैं कि अटल जी को क्यों गिराया। आप लोगों ने वी.पी.सिंह जी की सरकार को, देवेगौडा जी की सरकार को, गुजराल साहब की सरकार को क्यों गिराया? हम लोग क्या आपसे खराब राज चला रहे थे? बढ़िया राज चला रहे थे। यह ठीक है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। ये बहुमत की बात कहते हैं। फिलीपीन्स में बहुमत वाले को धक्का देकर हटा दिया। इसलिए बीच में सरकार यदि जनविरोधी हो जाए तो उनको भी हटाने की गुंजाइश हो, इस तरह का संविधान संशोधन होना चाहिए। लोक सभा के चुनाव की 3 टर्म अगर हम रहें तो 15 साल होते हैं। मगर तीन साल में ही हमारी तीन टर्म हो गईं और जनता के बीच हम जाते हैं तो जनता कहती है कि तीन टर्म एम.पी. रह चुके हैं और हमारे गांव में सड़क नहीं बनी, कुछ काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, तीन वर्ाों में वह सड़क पूरी नहीं हुई। इसलिए मेरा कहना है कि सब लोगों को जनमत संग्रह का अधिकार होना चाहिए और लोक सभा तथा विधान सभा की अवधि पांच वर्ा रहे और यदि वे बीच में भंग हों, तो उनके चुनाव एक साथ हो जाएं।â€¦(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : आज आपके भााण में मजा नहीं आ रहा है। â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपको तो मजा तभी आएगा जब मैं आपके खिलाफ बोलूंगा।

सभापति महोदय, हालांकि गीते जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें पांच वा की अवधि का भाव नहीं आता, लेकिन उसमें यह भाव जरूर है कि जब तक कोई ि वकल्प न बने तब तक सरकार रहे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, विकल्प बना लेना चाहिए। यदि विकल्प बना लिया होता, तो आज आप लोग यहां नहीं होते, हम होते। कोई किसी से कम नहीं है। हम लोगों के कसूर के चलते, आप लोगों की सरकार बनी हैं। जनता और हम आपकी सरकार के पक्ष में कोई नहीं हैं। अब जब कोई हाथी रूपी डैड बाडी है, तो उसको हटाना तो तभी संभव होगा जब लोक मिलकर उसे हटाएंगे। अभी हमारे लोग मिले नहीं हैं। इसलिए आप लोगों की सरकार चल रही है। जिस दिन हम सब लोग एक हो जाएंगे और मिल जाएंगे, तब आपकी सरकार को हटा देंगे। हम सब विपक्ष के लोग नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आपकी सरकार चल रही है। हम लोग मिल जाएंगे, तो आपकी सरकार हटते देर नहीं लगेगी। हमें मालूम है, आपके सहयोगी दलों की क्या दुर्दशा है। हम लोग देख रहे हैं देश के गरीबों और किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है। आप लोग भी मन में महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को यह भी मालूम है कि आपके दल के लोगों के मन की क्या दशा है। आज जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, वे लोग पछता रहे हैं कि हमने कैसी सरकार को वोट दिया।

सभापति महोदय, पहले तो लोग यह नारा लगाते थे कि "अब की बारी अटल बिहारी" लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपको वोट देकर लोग पछता रहे हैं। हर चीज में कोलाहल मच रहा है, हर जगह सनसनी फैल रही है, हर जगह तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है। सभापति महोदय, आप भी गांवों में जाते होंगे, आपको भी जनता की यह आवाज सुनाई पडती होगी। गावों का गरीब और किसान आज तबाह हो गया है। इसलिए गीते जी के विधेयक का भाव अच्छा है। हम लोग ऐसे मामलों में सरकार के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में विचार करे और ऐसा संशोधन करे।

सभापति महोदय, रामजी लाल सुमन जी की शंका इसलिए है कि पांच साल तक सरकार चले, इसके पीछे आपकी कोई चाल तो नहीं है। मान लीजिए कोई सरकार जनविरोधी कार्य करे, तो क्या वह भी पांच साल तक चले। मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। जनविरोधी सरकार को बदलने की शक्ति जनता में होनी चाहिए, लेकिन लोक सभा भंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे पांच साल तक चलती रहनी चाहिए। इसलिए उनकी शंका अपनी जगह ठीक है। हम गीते जी के विधेयक के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए। हम लोग इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री गीते जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदन, जिसके माध्यम से पूरा देश संचालित होता है, उसमें यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए मैं गीते जी को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, बार-बार चुनाव होने के संबंध में माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी राय सदन में व्यक्त की है। मैं भी अपने आपको उस राय से संबद्ध करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चूंकि मैं अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता हूं और मैं गावों में घूमता हूं, मैं जानता हूं कि गांवों में दूर-सुदूर क्षेत्रों में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। उनके ऊपर इस प्रकार से बार-बार चुनाव थोपना, बिलकुल उचित नहीं है। यदि ऐसा होगा, तो गांवों में रहने वाले, गरीब, किसान, मजदूर और दूर-सुदूर रहने वाले लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, माननीय गीते जी का प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है। मेरे पास इस प्रस्ताव की अच्छाई बखान करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं गांवों में जाता हूं। मुझे मालूम है कि गांवों में गरीबों और किसानों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हैं, जहां स्कूल हैं वहां कमरे नहीं हैं और वे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश हैं। जिस धन से बच्चों के पढ़ने के लिए भवन बनाए जाने चाहिए, वह चुनावों में व्यय होता है और जिस कागज की बच्चों को कापी और किताब मिलनी चाहिए उससे चुनावों के पोस्टर छपते हैं। जो कपड़ा गरीबों के तन ढ़कने के लिए उपलब्ध होना चाहिए उससे चुनावों के झंडे बनाए जाते हैं।

वह कपड़ा इलैक्शन के पोस्टरों में, इलैक्शन की झंड़ियों में और इलैक्शन के बस्ते में चला जाता है। मै कहना चाहता हूं कि भारत एक कृाि प्रधान देश है और यहां का कृाि मजदूर उसके साथ विशे तौर से जुड़ा हुआ है। चूंकि मैं खुद गांव का निवासी हूं इसलिए मैंने गांव के किसान और मजदूर को देखा है। आज आप देख रहे हैं कि यहां पर चुनावी सभायें होती हैं तो कोई भी अमीर आदमी काम छोड़कर नहीं आता बल्कि गरीबों को बहला-फुसलाकर ट्रालियों और बसों में भरकर चुनाव स्थल पर ले जाया जाता है। उनकी दैनिक मजदूरी भी उनको नहीं दी जाती और कहा जाता है कि देखिये, सभा में कितनी भीड़ हुई है। मैं निपक्ष तरीके से कहना चाहता हूं चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं आज इस सदन से कहना चाहता हूं कि इन बार-बार के चुनावों से इस देश को उबारा जाये परन्तु होता क्या है ? मैं मूल रुप से आर्य समाजी हूं। अनंत स्वामी ने अपनी एक कथा में लिखा है कि किसी गांव के बाहर एक ग्राउंड था जिसकी चारदीवारी बनी हुई थी। उस चारदीवारी में एक दरवाजा था। एक कथावाचक वहां गया और पहले दिन उसने कथा की तो लोगों को सुनाई दिया कि कथा वाचक बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेा नहीं है। वह सबके हित के लिए कहता है। जब लोगों में इस बात की चर्चा हो रही थी तब एक नेत्रहीन ने उनकी बात सुनी। उस नेत्रहीन ने कहा कि मुझे भी आज वह कथा सुनाईये। कथा का समय रात का था। सब लोग कथा सुनने चले गये। संयोग से जब नेत्रहीन ने यह बात कही तब एक जवान ने उसकी बात सुन ली। वह उसकी लाठी पकड़कर उस दरवाजे से प्रवेश कर गया और वहां नेत्रहीन को बैठा दिया। कथा प्रारंभ हुई। वह कथा बहुत अच्छी थी, जैसे अभी अटल जी के नेतृत्व में चल रही है। जब कथा समाप्त हुई तब सब लोग उठकर चले गये लेकिन वह नेत्रहीन वहीं बैठा रह गया। उसको कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं था। अब नेत्रहीन क्या करे तभी उस नेत्रहीन के दिमाग में एक बात आई कि हम जरूर किसी न किसी दरवाजे से अंदर आये होंगे। यह सोचकर वह अपनी लाठी टेकते-टेकते दीवार के पास पहुंच गया और वहां अपना हाथ रख लिया। उसने सोचा कि जहां पर भी खाली जगह होगी वहीं पर दरवाजा होगा और मैं निकल जाऊंगा। जब वह चलते-चलते दरवाजे के पास पहुंचा तब उसे पीछे खुजली होने लगी और वह उसे खुजलाने लगा। इसी में वह दरवाजा निकल गया। उसके बाद उसने फिर दीवार में हाथ रख लिया। वह पूरी रात घूमता रहा क्योंकि जब भी वह दरवाजे के पास पहुंचता उसे खुजली होनी शुरू हो जाती और वह दरवाजा निकल जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी गांव के विकास की, गरीब के विकास की या किसान के विकास की बात होती है तो कुछ लोगों को खुजली होनी शुरू हो जाती है और वह विकास का रास्ता छूट जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि यह सरकारी विधयेक नहीं है बल्कि एक प्राइवेट बिल है। इस प्राइवेट बिल में बहुत से सुझाव छोड़ दिये गये हैं। अभी यहां श्री रघुवंश प्र ासाद जी कह रहे थे कि श्री देवेगोड़ा जी की सरकार चली गई, उसके बाद श्री गुजराल जी की सरकार चली गई। इसी प्रकार से अटल जी की सरकार गई तो फिर दूसरी सरकार बननी चाहिए थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के लोग जो इसका विरोध करते हैं लेकिन जब उनका भत्ता बढ़ाया जाता है तो विरोध नहीं करते। जब उनकी तन्ख्वाह बढ़ाई जाती है तो वे विरोध नहीं करते, जब उनकी सहूलियत बढ़ाई जाती है तो उसका विरोध नहीं करते और एकजुट होकर उस बिल को पास कर देते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : यह जरूरी है।

श्री हरपाल सिंह साथी : अगर वह जरूरी है तो यह भी जरूरी है कि यह सभा चाहे विधान सभा हो, लोक सभा हो या गांव सभा हो, पांच साल तक चले। उस गरीब को राहत मिले, उस किसान को राहत मिले, उस विद्यार्थी को राहत मिले। जब चुनाव होते हैं तब विद्यार्थी पढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं क्योंकि उनकी परीक्षायें

निकट होती हैं। जब वह उस परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं तब कहीं भौपूं बजता है कि आप भाजपा को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए या अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए। इससे उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ती है। इस तरह वे बच्चे नकल करने की जुगत में लग जाते हैं।

इस बार-बार के चुनावों से कई विामताएं पैदा होती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें बार-बार कुछ करना है तो गरीबों की भलाई के लिए काम करें, अगर बार-बार कुछ करना है तो पीने के पानी के लिए सरकार के साथ एकजुट होकर कार्य करें, अगर बार-बार कुछ करना है तो गरीबी उन्मूलन के लिए लड़ें, अगर बार-बार कुछ करना है तो किसानों की उन्नति के लिए लड़ें लेकिन बार-बार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में न जाएं।

आज इस सभा में कितने प्रकार के दल हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो दलदल में घुसे हैं और उसमें से उबरना नहीं चाहते। अभी गीते जी का प्रस्ताव आएगा, चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि व्हिप जारी है। अच्छी बात के लिए भी विरोध और बुरी बात के लिए तो विरोध है ही। अगर मेरा देश चुनावी और राजनैतिक दलदल से उबर जाए तो इससे अच्छा उन्नतशील और संभ्रांत देश कोई नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है।

मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि वह जमाना गया जब एक ही दल के लोग पांच साल रहते थे। अब तो इस प्रकार की क्षेत्रीय पार्टियां उभरेंगी। मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं --

वह साल दूसरा था, यह साल दूसरा है

वह सदी दूसरी थी, यह सदी दूसरी है।

यह इक्कीसवीं सदी है। हमें इसमें प्रावधान करना पड़ेगा, नियमावली बनानी पड़ेगी जिससे हमारा समाज, देश ऊपर उठ सके।â€¦(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री महाले बोल रहे थे कि नीयत में फर्क आ गया है, जब नीयत ठीक होगी तो नीति ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले अपने अंदर झांकिए।

श्री केशव कोमुदी की दो पंक्तियां हैं --

ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वारी

ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है

तीन बेर खाती सो अब तीन बेर खाती है।

रघुवंश बाबू, आप सीनियर मैम्बर हैं, आपकी भाा बहुत अच्छी है। आपकी भावना पूरे विपक्ष और पक्ष की भावना होगी तो देश का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गीते जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, मैं संशोधन विधेयक, 1999 जो गीते जी द्वारा रखा गया है, का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय नियत था। दो घंटे पूरे होने को आए हैं। मैं सदन की सहमति चाहूंगा कि इसके लिए एक घंटा और बढ़ा दिया जाए। यदि सदन सहमत हो तो एक घंटा समय और बढ़ाया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : मैं गीते जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत किया है। यहां वरिठ सदस्य भी हैं। दस साल पहले पांच साल के लिए चुनाव होते थे और सरकारें भी रहती थीं लेकिन उसके बाद बहुमत कम होने से, बार-बार सरकारें बदलती जा रही हैं। सरकारें बदलने से, सरकारों के पास बहुमत न होने से आखिरी इलाज यह होता है कि लोक सभा बरखास्त की जाए। इसलिए पांच साल का कार्यकाल पूरा होना चाहिए जैसे राज्य सभा छः साल के लिए पक्की होती है।

लोक सभा का चाहे कुछ भी हो जाये, लेकिन राज्य सभा का कार्यकाल 6 साल के लिए पक्का होता है। लोक सभा में सांसद लोगों से चुनकर आते हैं और राज्य सभा में सांसद हर पार्टी के विधायकों से चुनकर आते हैं। इसके लिए संविधान में सुधार होना चाहिए, ऐसी सब की एक ही मांग है। बार-बार चुनाव होने से देश का बहुत नुकसान होता है। हमारे देश में अनेक बड़ी-बड़ी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, चूंकि बार-बार चुनाव होने से करोड़ों रुपये का खर्च होता है, इसलिए हमारे पास योजनाओं के लिए पैसा नहीं बचता है। अगर बार-बार चुनाव न हों तो 1-2 हजार करोड़ की कोई योजना पूरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोगों का जो पैसा है, संविधान में सुधार नहीं होने की वजह से इसी तरह चुनाव में खर्च होता रहेगा।

बार-बार चुनाव होने से देश का नुकसान होता है और जो लोग लोक सभा का चुनाव लड़ते हैं, उन के लिए इलैक्शन कमिश्नर की गाइडलाइन जरूर है कि इतना खर्च वे कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उससे भी ज्यादा खर्च होता है। यह पैसा लोगों का होता है। केंडीडेट भी कहीं से पैसा उधार लेकर चुनाव लड़ते हैं। मैंने सुना है कि बहुत से सांसद अपनी जमीन, मकान वगैरह गिरवी रखकर भी चुनाव लड़ते हैं। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, संशोधन है कि लोक सभा का कार्यकाल पांच साल पूरा होना चाहिए।

मैं सरकार से भी नम्र निवेदन करूंगा कि अनन्त गीते साहब का जो संशोधन है, उस पर सरकार जरूर गौर करे, विचार करे और सरकारी बिल लाकर इसमें संशोधन करे। वैसे इस बिल में सब प्रावधान दिये हैं, अनुच्छेद वगैरह सब दिये हैं, इसका अभ्यास करके सरकार को सरकारी बिल लाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। मैं फिर अनन्त राव गीते, संसद सदस्य, जो हमारे महाराट्र के हैं, उन्होंने ऐसा विचार रखा, संशोधन विधेयक उन्होंने यहां पर रखा है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI V.P. SINGH BADNORE (BHILWARA): Sir, I congratulate Shri Geete for bringing about this Constitution (Amendment) Bill, 1999. Except for one or two odd hon. Members, most of them have supported this Bill. I would not like to repeat the arguments that they have put forth. They have said that thousands of crores are being spent for the elections. In the last five years, we have seen three of them. If affects the stability of the country and the economy of the country. We do not have very friendly neighbours. They also get some sort of support if our country

is not stable. All these good arguments have been put forth.

What I would like to stress upon is that even the founding fathers have never thought that we would have three elections in five years. Had they imagined a situation of this kind, they would have had some sort of a clause to give stability to the system.

They started with a system which may not be the perfect one. You cannot have a perfect system. Even the democratic system is not the perfect system but this is the best that we know of. Tomorrow we may have a system which may be better than the Presidential or the Parliamentary system. We have not been able to evolve the one. The founding-fathers thought that a country as vast as India should have the Parliamentary system and we went about it.

Madam Shyama Singh has rightly said that a review is required but the way we have come about with the Committee is not the right one. I am not criticising here but if you read between the lines she supports that a review is required but how it will come about is a different thing. It is altogether a different issue as to whether it should come through Parliament or whether the Committee should have been there or not. A Committee comprising of five members cannot do everything. To change the Constitution, we require the consensus or the referendum. We all represent that. After 50 years, I think we should have a referendum as to where we have gone wrong and how we should correct it

In a country like India we have the black money, which is an economy by itself, and we have corruption which we are trying to sort out but we have not been able to do it. We have political corruption. In this country we have a number of other problems. We do not want to go to the Presidential system because a lot of people do not want it. Even in America, the most developed country having the Presidential form of Government, we all know what happened during the election of the President. It showed how shallow even that country is. I feel that we must have a referendum to support this Private Member's Bill. The Presidential system has a definite term of either five or six years but in the Parliamentary system there is no such thing. I think the best thing is to evolve a system, maybe on the lines of what Shri Geete has put forth in this Bill, in such a way that the House has a full five years term. People may feel that it is our personal outlook because we do not want to go for elections again and again and that is why we think about it. Therefore, if there is referendum the country will also support the Private Member's Bill moved by Shri Geete.

SHRI P.R. KYNDIAH (SHILLONG): Mr. Chairman, Sir, I came here not to participate in the discussion but when Shri Geete presented the amendment Bill, it made me think and did provoke me to participate in the discussion. He also made a very eloquent reference to the repeated elections which had cost us hundreds and thousands of crores.

Such funds could have been utilised for the good and welfare of the people at large. But at the outset, I would like to point out that I have gone through the Bill and it is true that though the intention was good but there is a technical flaw in it as the five-year term was not inserted. There is a need to do it. So, on this point I have to oppose it.

Then of course, I may mention that I am a great admirer of the Constitution of India. We have seen how for the last 51 years, we have been able to withstand the shock, distress, and tension of the polity. Today, we have come where we are because of this beautiful document which had been drafted and passed and adopted by the Constituent Assembly in 1949. It is a document that made us really democratic people.

सभापति महोदय : आपका भाण जब भी अगला दिन तय हो, जारी रहेगा।

18.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, February 26, 2001/Phalguna 7, 1922 (Saka)